

न्यायालय:-न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला जिला बैतूल(म०प्र०)  
(पीठासीन अधिकारी-धन कुमार कुडोपा)

दां०प्र०क०-९१ / १६

संस्था०दि० १४ / ०३ / २०१६

फाईलनं.२३३५०४०००८३२०१६

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र,  
 आमला, थाना आमला, जिला बैतूल (म०प्र०)

-----अभियोजन.

—: विरुद्ध :-

क्रान्ति पिता मंदर बसदेवा, उम्र २८ वर्ष,  
 पेशा भिक्षावृत्ति, नि०ग्राम-रानीडोंगरी, थाना आमला,  
 जिला बैतूल (म०प्र०)

-----अभियुक्त.

—: निर्णय :-

(आज दिनांक-२९/०९/२०१६ को घोषित)

०१— अभियुक्त के विरुद्ध भा०दं०वि० की धारा-३२४ के अंतर्गत अभियोग है कि दिनांक १०/०३/१६ को रात्रि १०:०० बजे करीब फरियादी के घर के सामने रोड पर ग्राम रानीडोंगरी आमला, थाना आमला जिला बैतूल म०प्र० के अंतर्गत फरियादी देवदास को मुंह से काट कर स्वेच्छया उपहति कारित की।

०२— दिनांक २४/०९/१६ को लोक अदालत में फरियादी देवदास तथा अभियुक्त क्रान्ति का राजीनामा होने से धारा २९४ एवं ५०६ भाग-२ में दोषमुक्त किया गया।

०३— अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी देवदास ने थाना हाजिर आकर जुबानी रिपोर्ट किया कि दिनांक १०/०३/१६ के रात्रि करीब १० बजे की बात है। उसके पड़ोस का क्रान्ति बसदेवा उसे पुरानी रंजिश पर से मां बहन की मादर चोद बहन चोद की गंदी-गंदी गालियां दे रहा था। उसने गालियाँ देने से मना किया तो क्रान्ति बसदेवा ने उसे हाथ थप्पड़ से मारपीट किया मारपीट से उसके बांये पैर तथा गर्दन में मूंदी चोट लगी है दर्द हो रहा है। क्रान्ति बसदेवा ने उसे सीने पर दाहिने तरफ मुंह से काट दिया हैं झगड़े का बीच बचाव उसकी बहन चोरन और सोनी ने किया है। क्रान्ति बसदेवा

बोल रहा था कि थाने में रिपोर्ट की तो जान से खतम कर देगा। रात्रि होने से से एवं साधन नहीं होने से आज रिपोर्ट करने आया हूँ।

04— प्रथम सुचना रिपोर्ट प्र0पी0-1 है। अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्रमांक 119/16 के अंतर्गत अपराध कायम कर भा0दं0वि0 की धारा 294, 323, 324, 34 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। दिनांक 12/03/16 को घटना का नक्शा मौका प्र0पी0-2 बनाया गया, फरियादी का मेडिकल मुलाहिजा तैयार किया गया। साक्षियों के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किए गए। अभियुक्त को गिरफ्तार कर, गिरफ्तारी पंचनामा तैयार किया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

05— अभियुक्त के विरुद्ध धारा 313 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्त ने अपने अभियुक्त परीक्षण में सामान्य परीक्षा में कहा कि वह निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त कथन के दौरान बचाव पक्ष ने बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

06— **न्यायालय के समक्ष यह विचारणीय प्रश्न यह है कि:-**

“आपने दिनांक 10/03/16 को रात्रि 10:00 बजे करीब फरियादी के घर के सामने रोड पर ग्राम रानीडोंगरी आमला, थाना आमला जिला बैतूल म0प्र0 के अंतर्गत फरियादी देवदास को मुंह से काट कर स्वेच्छया उपहति कारित की?

**—: निष्कर्ष एवं उसके आधार :-**

**—: विचारणीय प्रश्न कं. 01 का निराकरण**

07— अभियोजन साक्षी देवदास (अ.सा.1) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि घटना के समय वह बाहर खड़ा था तभी आरोपी ने उसे गंदी गंदी गालियाँ देकर हाथ मुक्के से मारपीट किया जिससे पैर एवं गर्दन में चोट लगी थी। उसने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना आमला में किया था जो प्र0पी0 1 है पुलिस ने उसका डाक्टरी मुलाहिजा करवाई थी। पुलिस ने मौका नक्शा प्र0पी0 2 तैयार किया जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी ने उसे काटा नहीं था। शासन की ओर से पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर इस गवाह ने यह अस्वीकार किया है कि आरोपी क्रांति ने उसे सीने में दांत से काट लिया था। आगे इस गवाह ने यह भी अस्वीकार किया है कि उसने पुलिस को रिपोर्ट प्र0पी0 1 का बी से बी भाग एवं पुलिस कथन प्र0पी0 2 ए से ए भाग का बयान दिया था।

08— आगे इस गवाह ने अपने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 3 में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि उसे दांत से आरोपी क्रांति ने नहीं काटा था। यह गवाह स्वयं फरियादी है और उक्त गवाह ने अपनी मुख्य परीक्षा सूचक प्रश्न एवं प्रतिपरीक्षा में यह नहीं बताया है कि अभियुक्त ने उसे मुंह से काट कर स्वेच्छया उपहति कारित की। इस प्रकार इस गवाह की साक्ष्य से मुख्य परीक्षा, सूचक प्रश्न एवं प्रतिपरीक्षा से भा0दं0वि0 की धारा 324 के तथ्यों का समर्थन नहीं किया है।

09— अभियोजन साक्षी संजयवती (अ.सा.2) ने अपनी मुख्य परीक्षा, सूचक प्रश्न एवं प्रतिपरीक्षा में घटना घटित होने के तथ्यों का समर्थन नहीं किया है।

10— उर्पयुक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्त ने फरियादी देवदास को मुंह से काट कर स्वेच्छया उपहति कारित की। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न क्रं. 1 का निराकरण “अप्रमाणित” रूप से किया जाता है।

11— उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति-युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त ने फरियादी देवदास को मुंह से काट कर स्वेच्छया उपहति कारित की। इस प्रकार अभियुक्त क्रांति को भा0दं0वि0 की धारा-324 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

12— अभियुक्त के धारा-313 द0प्र0सं0 के पूर्व प्रस्तुत जमानत मुचलका भारमुक्त किया जावे। अभियुक्त का धारा 428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

13— प्रकरण में जप्त शुदा सम्पत्ति कुछ नहीं।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं  
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित।

(धनकुमार कुड़ोपा)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, जिला बैतूल म0प्र0

(धनकुमार कुड़ोपा)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, जिला बैतूल म0प्र0